



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 975]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 — पौष 1, शक 1947

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-1/2019/जनगणना/गृह-दो.— जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिकृत करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर, जनगणना 2027 के लिए, कॉलम (3) में पदनामित जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है:-

अनुसूची

स. क्र.	प्राधिकारी	पदनाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संभागायुक्त	संभागीय जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व संभाग की सीमाओं के भीतर
2.	जिला कलेक्टर	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर
3.	कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर / संयुक्त कलेक्टर/ उप कलेक्टर	जिला जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर
4.	जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी	अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर
5.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
6.	तहसीलदार	चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
7.	अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार	अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
8.	(अ) प्रशासक, नगरपालिक निगम (अधिक्रमण किये गये नगरपालिक निगमों में) या (ब) आयुक्त, नगरपालिक निगम (निर्वाचित नगर पालिक निगमों में)	प्रमुख जनगणना अधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर

9.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
10.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नामांकित अधिकारी	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर
11.	प्रशासक / आयुक्त नगरपालिक निगम द्वारा नामांकित अधिकारी	नगर जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर
12.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी	नगर चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर
13.	जोन कमिश्नर, नगरपालिक निगम में (जहाँ भी लागू हो)	जोन चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर
14.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र में	विशेष क्षेत्र चार्ज जनगणना अधिकारी	उनके संबंधित क्षेत्राधिकार एवं बाह्य विकास क्षेत्र (यदि कोई हो) की सीमाओं के भीतर

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उपरोक्त यथा दर्शित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर, उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा उसको प्रदत्त जनगणना अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियों को प्रत्यायोजित करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उपरोक्त यथा दर्शित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर, जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 22nd December 2025

NOTIFICATION

No. F-07-1/2019/Census/Home-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) and in supersession of all previous Notification issued in this regards, the State Government, hereby, appoints the authorities specified in column (2) of the Schedule below as Census Officers designated in column (3) for the Census 2027 within their respective jurisdiction as specified in column (4) thereof :-

SCHEDULE

S.NO.	Authorities	Designation	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Divisional Commissioner	Divisional Census Officers	Within the limits of their respective Revenue Division
2.	Collector of the District	Principal Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
3.	Additional Collector/Joint Collector/DeputyCollector nominated by the Collector	District Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
4.	District Planning and Statistical Officer	Additional District Census Officer	Within the limits of their respective Revenue District
5.	Sub-Divisional Officer (Revenue)	Sub -Divisional Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions
6.	Tahsildar	Charge Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions
7.	Additional Tahsildar/ Naib Tahsildar	Additional Charge Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions
8.	(A) Administrator, Municipal Corporations (in the superseded Municipal Corporations) OR (B) Commissioner, Municipal Corporations (in elected Municipal Corporations)	Principal Census Officer Principal Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions plus out-growth areas (if any) Within the limits of their respective Jurisdictions plus out-growth areas (if any)

9.	Chief Executive Officer, Special Area Development Authority	Special Area Development Authority Charge Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions
10.	Officer nominated by Chief Executive Officer, Special Area Development Authority	Special Area Development Authority Additional Charge Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions
11.	Officer nominated by Administrator/Commissioner in Municipal Corporation	City Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions plus out-growth areas (if any)
12.	Chief Municipal Officer/ Chief Executive Officer	Town Charge Census Officer	Within the limits of their respective Jurisdictions plus out-growth areas (if any)
13.	Zone Commissioner in Municipal Corporation (Wherever applicable)	Zone Charge Census Officer	Within the limits of their respective jurisdictions (plus out-growth areas, if any)
14.	Chief Executive Officer in Special Areas	Special Area Charge Census Officer	Within the limits of their respective Special Areas

In exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 4 of the said Act, the State Government, hereby, delegates the powers of appointing Census Officer conferred upon it by sub-section (2) of the above said Section to the authorities specified in column (2) of the Schedule within the areas specified in column (4) thereof.

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of Section 4 of the said Act, the State Government authorizes the authorities specified in column (2) of the above Schedule to sign declarations regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.